

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक- 28/10/2024

विषय- श्री प्रदीप कुमार साह, द्वारा पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा मौजा के खाता संख्या-267, प्लॉट संख्या-1188, थाना-कसबा में SH-60 पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01275 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर शैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- आपका पत्रांक 311, दिनांक 22.05.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/48533/2020/284, दिनांक 20.05.2022 द्वारा दो भागों में (A में 1-7 शर्त एवं B में 1-9 शर्त) शैद्धान्तिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ-

भाग-A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.

हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षां के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,94,632.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 150621948533434, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 20.07.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- SBINR2024072036773858 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।

NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.01275 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 12,212/- को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 150621948533434, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 20.07.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- SBINR2024072036773858 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।

मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, Bengaluru के खाता में दिनांक 20.07.2024 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

4. जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - (a) इस शर्त का अनुपालन विभाग द्वारा किया जाना है।
 - (b) पथ निर्माण विभाग से निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना के आदेश संख्या-04-सह- पठित ज्ञापांक-138228, दिनांक 14.06.2024 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पेट्रोलियम आउटलेट (पेट्रोल पम्प, सी.एन.जी. एवं बायोडीजल आउटलेट) को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ से मुक्त किया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।



6. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
7. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website-
<http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।


भाग-B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन



(प्रदीप कुमार साह)

पिता-श्री सत्यनारायण प्रसाद साह,
सत्यम पैलेस, ग्राम+पोस्ट-मदरघाट कसबा,
जिला-पूर्णियाँ, पिन-854330



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना।

अधिसूचना संख्या-०५.

पटना, दिनांक:- 14.6.24

अधिसूचना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या-86/2019 (ज्ञान प्रकाश @ पप्पू सिंह बनाम भारत सरकार एवं अन्य) के संदर्भ में दिनांक-18.01.2019 को पारित आदेश के आलोक में नये पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु दूरी एवं अन्य तकनीकी बिन्दुओं से संबंधित मार्गदर्शिका तैयार कर इसके क्रियान्वयन हेतु सभी हिताधारकों को प्रेषित की गयी है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, चेन्नई बेंच द्वारा ओ.ए. संख्या-138/2020 (एस.जेड.) में दिनांक-23.12.2021 को पारित आदेश के आलोक में पेट्रोल पम्प के स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद से सहमति प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उपरोक्त आदेश का पारा-69 (iii) & (iv) इस प्रकार है-

Para-69 (iii): The Central Pollution Control Board (CPCB) as well as the State Pollution Control Boards are directed to issue direction under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 and Section 18 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 to make it mandatory to obtain Consent to Establish and Consent to Operate for new petroleum outlets to be established in future and even to those which are under the preparation of establishment, but not started construction as has been done by the State Pollution Control Board, Kerala and such a direction should be issued within a period of 3 (Three) months and till then, all the new Retail Petroleum Outlets are directed to apply for Consent to Establish and Consent to Operate before its establishment.

Para-69 (iv): We also direct all the existing Retail Petroleum Outlets irrespective of its turnover to obtain Consent to Operate for the existing outlets within a period of 6 (Six) Months. If it is not obtained, then the concerned State Pollution Control Board is directed to take appropriate action against such petrol pumps in accordance with law.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम भी.वी.आर. मेनन एवं अन्य के संदर्भ में सिविल अपील संख्या-421 ऑफ 2022 (सिविल अपील संख्या-2039 ऑफ 2022 के साथ) में दिनांक-14.03.2023 को पारित आदेश

[पारा-48(बी)] द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण दक्षिण बेंच के आदेश [पारा-69 (iii) & (iv)] को रद्द करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली को निदेश दिया गया है कि वे सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण परषद् को उनके द्वारा दिनांक-07.01.2020 को निर्गत मार्गदर्शिका का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दें। उपरोक्त मार्गदर्शिका का उल्लंघन होने पर संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण परषद् दोषी पेट्रोलियम आउटलेट के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपील में पारित आदेश का [पारा 48 (बी)] निम्नवत् है।

Para 48(b): We set aside the directions issued by the NGT in the impugned order as contained in para 69(iii) and (iv). Instead, we direct the CPCB to instruct all the State Pollution Control Boards to ensure that the guidelines issued by it vide the Office Memorandum dated 07.01.2020 are strictly adhered to. If there is breach of any of the guidelines issued by the CPCB vide Office Memorandum dated 07.01.2020, then the concerned State Pollution Control Board shall proceed against the erring outlet in accordance with law at the earliest.

उपरोक्त आदेश के आलोक में परषद् मंडल की दिनांक 10.06.2024 को आयोजित 118वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार -

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के आलोक में पेट्रोलियम आउटलेट (पेट्रोल पम्प, सीएनजी एवं बायोडीजल आउटलेट) को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति से मुक्त किया जाता है।
2. ई-वाहन चार्जिंग सुविधा को भी जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति से मुक्त किया जाता है।
3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नये पेट्रोल पम्प की स्थापना से संबंधित दिनांक-07.01.2020 को निर्गत गाइडलाइन्स के आलोक में सभी तेल कम्पनी अपने पेट्रोलियम आउटलेट की स्थापना निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप स्थापित करेंगे एवं वहाँ Vapour Recovery System (VRS) की स्थापना एवं इसका रख-रखाव सुनिश्चित करेंगे। इसका क्रियान्वयन सभी तेल कम्पनी सुनिश्चित करेंगे। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने वाले पेट्रोलियम आउटलेट की जानकारी संबंधित तेल कम्पनी बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परषद् को सूचित करेंगी।
4. वैसे पेट्रोलियम आउटलेट जहाँ पर 20 KVA अथवा इससे अधिक क्षमता का डी.जी. रोट स्थापित/संचालित करने की योजना है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परषद् से

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

इस पर अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(एस.चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव।

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-सरकार के सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(एस.चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव।

ज्ञापांक:-138228

पटना, दिनांक:-14.6.24.

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित तेल कम्पनी/सदस्य-सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Signed by

S. Chandrasekar

Date: 13-06-2024 14:18:53

(एस.चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव।

36

80111R 520 240 720 367 23258

Counter foil



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

Branch Kasba

Date 20-07-2024

Received ₹ 906844

From JYOTI SAH

For remittance of NEFT/RTGS by way of
(i) Transfer (only NEFT), (ii) Cash (only
NEFT), (iii) Cheque (NEFT/RTGS) using
cheque No. 959777
favouring BIHAR CAMPA

A/c No. 1506219948533434

IFSC Code UBIN0996325

Beneficiary Bank & Branch SBI KASBA

Bank भारतीय स्टेट बैंक (बिहार)

Amount ₹ 906844

Bank's Charges ₹ 24.20

Total ₹ 906868.20

(Rupees Nine lakh, eight hundred and eighty
only)

For office Use, Twenty one

UTR No.

Branch Manager

समाहरणालय, पूर्णिया

35


(जिला सामान्य शाखा)

रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र

संख्या-1923....., दिनांक-19-09-2024

प्रमाणित किया जाता है कि पूर्णिया जिले में प्रयोक्ता एजेन्सी श्री प्रदीप कुमार साह, पिता-स्व० सत्य नारायण प्रसाद साह, ग्राम-मदारघाट, कसबा, जिला-पूर्णिया के द्वारा रिटेल आउटलेट रैखिक परियोजना निर्माण स्थल मौजा-फुलवरिया, थाना सं०-225, खाता सं०-267, प्लॉट सं०-1188, थाना- कसबा, जिला-पूर्णिया के किनारे पड़ने वाले पथ के तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि कुल 0.01275 हे० रकबा (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया वन प्रमंडल, पूर्णिया के पत्रांक-2119, दिनांक- 26.08.2021 एवं पत्र संख्या-2334, दिनांक-21.09.2023 द्वारा FRA 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा के साथ अनुरोध पत्र समर्पित किया गया है।

तद्आलोक में प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक-13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में (जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक-234, दिनांक-16.05.2024 द्वारा प्राप्त आवेदन के अनुसार) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।


जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया

मुख्य अभियंता का कार्यालय
सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :- सीमांचल-आउटलेट-385/2019

दिनांक :-

प्रेषक,

मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमण्डल, पूर्णियाँ

विषय:-

पथ प्रमण्डल पूर्णियाँ अन्तर्गत मौजा-फुलवरिया, प्लॉट नं०-1188, खाता नं०-267, थाना नं०-225, थाना-कसबा, जिला-पूर्णियाँ में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बरौनी (रिटेल) टेरिटरी के पेट्रोल एवं डीजल का रिटेल आउटलेट के स्थापना के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-

- (i) आपका पत्रांक- 1758 (अनु०) दिनांक-11.11.2019
- (ii) विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 1921 (S) दिनांक-08.03.2018
- (iii) विभागीय पत्रांक- 4770 (E), दिनांक 24.08.2017

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में पथ प्रमण्डल पूर्णियाँ अन्तर्गत मौजा-फुलवरिया, प्लॉट नं०-1188, खाता नं०-267, थाना नं०-225, थाना-कसबा, जिला-पूर्णियाँ में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बरौनी (रिटेल) टेरिटरी के पेट्रोल एवं डीजल का रिटेल आउटलेट की स्थापना करने हेतु पथ निर्माण विभाग की भूमि को पहुँच पथ के रूप में विकसित कर व्यवहार करने हेतु 05 (पाँच) वर्षों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र विभागीय निदेश (पत्रांक-4770 (ई०) दिनांक- 24.08.2017) तथा संकल्प ज्ञापांक- 1921 (S), दिनांक- 08.03.2018 के आलोक में निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. पेट्रोल पम्प के अनुमोदित नक्शा की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल में लौटाई जाती है। अनुमोदित नक्शे के अनुसार Approach Road में 1x1000mm RCC Box Culvert with Iron Grating का निर्माण कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रत्येक 5 वर्ष के बाद विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 1921(S) दिनांक-08.03.2018 की कंडिका-6 के अनुपालन में विभाग द्वारा निर्धारित Renewal Fee जमा कराते हुए नवीकरण की जाएगी।
3. विभागीय पत्रांक-4770 (ई०) दिनांक 24.08.2017 के कंडिका-6 का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय।

अनु०:- मूल नक्शा की एक प्रति।

विश्वासभाजन

ह०/-

मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(क०प०उ०)

ज्ञापांक :- सीमांचल-आउटलेट-385/2019

दिनांक :-

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

मुख्य अभियंता,

सीमांचल उपभाग,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- सीमांचल-आउटलेट-385/2019 - 1249

दिनांक :- 28/11/19

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णियाँ/Bharat Petroleum Corporation Ltd., Barauni Retail Territory, NH-31, AT & P.O.- Papraur, Dist- Begusarai- 851210 (Bihar)/Shri Pradip Kumar Sah, S/O- Shri Satyanarayan Prasad Sah, Satyam Place, At & P.O.-Madarghat Kasba, Dist.- Purnea, Pin-854330 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28-11-19

मुख्य अभियंता,

सीमांचल उपभाग,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।